UPEW010037982025

न्यायालय Spl. Judge (E.C. Act), Etawah

पीठासीन अधिकारी– (Sri Ankur Sharma), (**उच्चतर न्यायिक सेवा**)

(J.O. Code– UP01632)

Arbitration Execution No. 18/2025

NHAI Vs. Jaiveer Singh and Others

दिनांकः 01.08.2026

1. पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को प्रार्थना पत्र 39 ग व आपत्ति 41 ग पर पूर्व में सुना जा चुका है।

2. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र 39 ग मय शपथपत्र 40 ग अन्तर्गत आदेश 7 नियम 17 सपठित धारा–151 दीवानी प्रक्रिया संहिता वास्ते संशोधन इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा पूर्व में अधिवक्ता के स्थान पर नवीन अधिवक्ता नियुक्त किया गया है। बहस हेतु तैयारी करते समय यह तथ्य संज्ञान में आया कि पूर्व अधिवक्ता द्वारा याचिका तैयार करते समय कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं को याचिका में प्रस्तुत नहीं किया है जो वाद के निस्तारण में आवश्यक हैं। याचित संशोधन मामले की प्रकृति को परिवर्तित नहीं करते बल्कि पक्षकारों द्वारा आर्बिट्रेशन वाद के साथ प्रस्तुत किये गये अभिवचनों की सपष्ट व्याख्या करते हैं। इन अभिकथनों के साथ संशोधन किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने की याचना की गयी।

3. विपक्षीगण की ओर से आपत्ति 41 ग प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थना पत्र विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है। आर्बिट्रेशन वाद में आदेश 7 नियम 17 दीवानी प्रक्रिया संहिता लागू नहीं होती है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

4. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

5. अवलोकन से विदित है कि प्रार्थी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपनी प्रार्थना पत्र 5 ग अन्तर्गत धारा–34 में संशोधन किये जाने की याचना की गयी है। विपक्षी की ओर से आपत्ति की गयी है कि प्रस्तुत मामले में दीवानी प्रक्रिया संहिता लागू नहीं होती है। अतः प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है।

6. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा **सिविल रिवीजन सं० 893/2002 हरजिंदर सिंह भाटिया बनाम सुरेश कपूर में पारित निर्णय दिनांकित** 16.02.2015 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि– "An application under

Digitally signed by ANKUR SHARMA
Date: 2026.08.01 16:19:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

Section 34 of the Act for setting aside an arbitral award lies before a court. The court has been defined under Section 2(e) of the Act to mean the principal civil court of original jurisdiction of the district. A civil court is ordinarily bound to follow the Code of Civil Procedure in dealing with any proceeding before it or an application under Section 34 of the Act until and unless the applicability of the CPC has not been excluded. There is no provision in the Act which excludes the application of CPC to proceedings before the court arising under the Act. In ITI Ltd. Vs. Simens Public Communications Network Ltd. (2002) 5 SCC 510 the Apex Court has observed that under the Act the application of the Code of Civil Procedure is not specifically provided for but at the same time there is no express prohibition against its application to a proceeding arising out of the Act before the civil court. Therefore, as a necessary corollary the exclusion of CPC in matters arising under the Act before the civil court cannot be presumed or inferred."

7. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त वाद में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया कि माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 में दीवानी प्रक्रिया संहिता लागू होने का कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है परन्तु उक्त उक्त अधिनियम में दीवानी प्रक्रिया संहिता लागू न होने का भी कोई प्रावधान नहीं है। अतः माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 के मामले में दीवानी प्रक्रिया संहिता लागू न होने की अवधारणा नहीं की जा सकती इस प्रकार प्रस्तुत मामले में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दीवानी प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत पोषणीय है तथा विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

8. विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र 39 ग में पैरा–6 के कॉलम–m में उनके द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले तर्क को अंकित किया गया तथा पैरा–6 के कॉलम–n में विपक्षी सं० 5 के रूप में आर्बिट्रेटर को पक्ष बनाये जाने का संशोधन किये जाने की याचना की गयी है। प्रस्तुत मामले में आर्बिट्रेटर को पक्ष बनाये जाने का कोई औचित्य नहीं है तथा प्रार्थना में नियमानुसार तर्क सम्मिलित नहीं किये जा सकते हैं अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

9. अवलोकन से विदित है कि प्रार्थीगण द्वारा संशोधन प्रार्थना पत्र 39 ग में पैरा–6 के कॉलम–m में माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था एवं उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश को संशोधन के माध्यम से प्रार्थना पत्र में अंकित किये जाने की याचना की गयी है तथा पैरा–6 के कॉलम–n में विपक्षी सं० 5 के रूप में आर्बिट्रेटर को पक्ष बनाये जाने की याचना की गयी है।

10. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आर्बिट्रेटर द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण व विपक्षीगण के मध्य विवाद के बिन्दु पर पंचाट पारित किया गया है जिसके विरुद्ध धारा–34 माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत मामले में आर्बिट्रेटर पक्ष नहीं है अतः आर्बिट्रेटर को पक्षकार के रूप में सम्मिलित किये जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है अतः संशोधन प्रार्थना पत्र के पैरा–6 के कॉलम–n में आर्बिट्रेटर को पक्ष बनाये जाने की सीमा तक संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

11. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि सामान्य नियमावली (सिविल) 1957 के नियम 28 ए में प्रावधान है कि तार्किक बातों, उदाहरणार्थ उच्च न्यायालय के कतिपय विनिर्णय से सम्बन्धित अधिनियमों की कतिपय धाराओं के प्रभाव या कोटेशन और विचार–विमर्श से उक्त कोई आवेदन अभिलेख पर नहीं रखा जायेगा। अतः उपरोक्त नियम के प्रकाश में संशोधन प्रार्थना पत्र के पैरा–6 के कॉलम–m में अंकित तर्क के सम्बन्ध में संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

12. अवलोकन से विदित है कि प्रार्थी संशोधन प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–34 माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 के तथ्यों को और स्पष्ट करना चाहता है यद्यपि प्रार्थना पत्र विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है परन्तु विलम्ब की पूर्ति हर्जे से की जा सकती है। इन परिस्थितियों में प्रार्थना पत्र 39 ग आंशिक रूप से हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

संशोधन प्रार्थना पत्र 39 ग मु० 500/–रुपये हर्जे पर आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। संशोधन प्रार्थना पत्र 39 ग पैरा–6 के कॉलम–m व कॉलम–n में आर्बिट्रेटर को पक्ष बनाये जाने की सीमा तक निरस्त किया जाता है। तद्नुसार आपत्ति 41 ग निस्तारित की जाती है। प्रार्थीगण 7 दिन के अंदर हर्जा अदा करने के पश्चात संशोधन करें। पत्रावली वास्ते अग्रिम सुनवाई दिनांक 01.09.2026 को पेश हो।

(अंकुर शर्मा)
विशेष न्यायाधीश (आ 0 व 0 अधि0)/
अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट सं० 4, इटावा।
J.O. CODE : UP01632